31.7.24

वकील अपीलांट अनुपस्थित। वकील अपीलांट या स्वयं अपीलांट को बार-बार आवाजें पुकारें गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। बावजूद इत्तला निर्धारित तिथि को उपस्थित न आने के कारण अपील अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर